न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या – 253 / 2021

आरसीएमएस नं. 2021 / 253

1. भूराराम
2. भादरराम
3. महावीर प्रसाद

पुत्रगण श्री चानणराम जाति सैनी निवासीयान साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू (राज0)

—— अपीलांटस

बनाम

1. मु0 लिछमादेवी पत्नि स्व0 श्री चानणराम जाति सैनी निवासी चक 4 एन.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. औमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री चानणराम जाति सैनी निवासी चक 4 एन.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. अमरसिंह पुत्र स्व0 श्री चानणराम जाति सैनी निवासी चक 4 एन.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. जमनाराम पुत्र स्व0 श्री चानणराम जाति सैनी निवासी चक 4 एन.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. श्रीमति ज्याणी उर्फ भागवंती पुत्री स्व0 श्री चानणराम (फौत)
   - 5/1. महेन्द्र कुमार
   - 5/2. संतोष देवी
   - 5/3. सुमित्रा देवी

   पि0 ज्याणी उर्फ भागवंती पुत्री स्व0 चानणराम जाति सैनी निवासी चक 4 एन.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. श्रीमति कौशल्या पुत्री स्व0 श्री चानणराम जाति सैनी निवासी चक 4 एन.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार (राजस्व) तारानगर जिला चुरू।
8. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. गीतादेवी पत्नि भागीरथ जाति जाट निवासी चक 28 एन.डी.आर. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेण्ट

(2) अपील संख्या – 324 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 324

1. भूराराम
2. भादरराम
3. महावीर प्रसाद

पुत्रगण श्री चानणराम जाति सैनी निवासीयान साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

—— अपीलांटस

बनाम

1. मु0 लिछमादेवी पत्नि स्व0 श्री चानणराम जाति सैनी निवासी चक 4 एन.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. औमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री चानणराम जाति सैनी निवासी चक 4 एन.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. अमरसिंह पुत्र स्व0 श्री चानणराम जाति सैनी निवासी चक 4 एन.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. जमनाराम पुत्र स्व0 श्री चानणराम जाति सैनी निवासी चक 4 एन.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. श्रीमति ज्याणी उर्फ भागवंती पुत्री स्व0 श्री चानणराम (फौत)

5/1 महेन्द्र कुमार
5/2 संतोष देवी
5/3 सुमित्रा देवी
} पि0 ज्याणी उर्फ भागवंती पुत्री स्व0 चानणराम जाति सैनी निवासी चक 4 एन.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

6. श्रीमति कौशल्या पुत्री स्व0 श्री चानणराम जाति सैनी निवासी चक 4 एन.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार (राजस्व) तारानगर जिला चुरू।
8. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. गीतादेवी पत्नि भागीरथ जाति जाट निवासी चक 28 एन.डी.आर. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2004
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, पीलीबंगा
अनवान ''मु0 लिछमादेवी आदि बनाम भूराराम आदि'' प्र. सं. 71/2002

उपस्थितिः—

श्री, विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट

श्री देवदत्त भिड़ासरा अभिभाषक रेस्पोडेंट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो सं0 7 व 8

निर्णय **दिनांक** 01. XI. 2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4, ज्याणी उर्फ भागवंती व रेस्पोडेंट संख्या—6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी ''मु0 लिछमादेवी आदि बनाम भूराराम आदि '' मुकदमा नम्बर 71/2002 प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं उनके नाम तहीसील

[signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पीलीबंगा में चक 4 एन.आर. के पत्थर नम्बर 32/330 में किला नम्बर 1 ता 20/20, 21 ता 25/4.10 कुल 24 बीघा 10 बिस्वा तथा रोही साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू में खसरा संख्या 713 में 15 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 715 में 23 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने भूमि का घरू बंटवारा कर रखा है जिसके मुताबिक वादीगण को चक 4 एन.आर. की 24 बीघा 10 बिस्वा तथा साहवा के खाता संख्या 793 के खसरा संख्या 713 में 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को रोही साहवा की खाता संख्या 793 के खसरा संख्या 713 में 6 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा संख्या 715 में 23 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई है तथा मुताबिक बंटवारे के हिसाब से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व वादीगण अपनी अपनी कृषि भूमि में कृषि करते आ रहे हैं। वादीगण ने चक 4 एन.आर. की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर करीब 13 वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं और आज भी वादीगण की नरमे की फसल काश्त की हुई है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 करीब एक माह से इस भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है तथा उन्होनें धमकी दी है कि वे जमाबंदी में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर बैय अथवा मुन्तकिल कर वादीगण को नुकसान पहुंचायेंगे। उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा कब्जा कर लिये जाने अथवा उनके द्वारा इस भूमि को बैय व मुन्तकिल कर दिये जाने से वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप नहीं करे व न ही इस भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करे। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को 15 दिवस पूर्व निवेदन किया कि वह तहसील हाजा चलकर चरण संख्या–3 की उपचरण–क और ख में वर्णित कृषि भूमि को मुताबिक कब्जा काश्त अपने अपने नाम करवा लें तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। अतः वादीगण के पक्ष में भूमि विभाजन की डिक्री पारित कर कृषि भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की चरण संख्या–4 में वर्णित है तथा कब्जा काश्त में है, के हिसाब से विभाजन कर इसका पृथक खाता वादीगण के नाम कायम किया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 इस आशय की फरमाई जावे कि वे वादग्रस्त भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित है तथा वीदगण के कब्जा में एवं आधिपत्य में है, में कोई दखलंदाजी नहीं कर व न ही इस भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने से ममनू व बाज रहे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर कथन किये कि प्रतिवादीगण व वादीगण का कभी भी चक 4 एन.आर. व रोही साहवा तहसील तारानगर स्थित कृषि भूमि का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ न ही मिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को चक एन.आर. की कृषि भूमि उसे बंटवारे में अकेले को दी। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का उक्त दोनों चकों व तहसीलों में स्थित कृषि में बराबर हिस्सा निहित है व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व उसी अनुसार गांव साहवा तारानगर व चक 4 एनआर की कृषि भूमि पर हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है। वादीगण को किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है। वादीगण मिन प्रतिवादीगण की कृषि भूमि की स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी भी नहीं है। रोही

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Lario

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

साहवा तहसील तारानगर व चक 4 एनआर की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है व उसी अनुसार चक 4 एन.आर. में वादीगण व मिन प्रतिवादीगण का माता व भाईयों के साथ 7/9 हिस्सा व दोनों बहिनों का 2/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया तथा प्रतिदावा में अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन चाहा। काउन्टर क्लेम के जवाब में कथन किया कि वादीगण वाद में अंकित पते पर पिछले 15 वर्षों से निवास कर रहे हैं। भूमि का बंटवारा पूर्व में हो चुका है उसी के अनुसार कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण का चक 4 एन.आर. की भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः अच्छी मंदी के हिसाब से बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं है। चक 4 एन.आर. की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने निम्नलिखित तनकीयात विरचित की दिनांक 28.07.2004 को रेस्पोडेंट/वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किया व अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज किया। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्व अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की। तत्पश्चात् अपीलांट के काउन्टर क्लेम को निरस्त करने के विरूद्व दिनांक 07.09.2022 को अपील संख्या 324/2022 प्रस्तुत की गई। अपील संख्या 324/2022 को दिनांक 14.09.2022 को अपील संख्या 253/2021 के साथ समेकित किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. अपीलांट ने आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2007 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ गांव साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 961/887 व खाता संख्या 960/886 व दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर दिनांक 23.08.2007 को उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण अपील के अंतिम निस्तारण के समय किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्व रेस्पोडेंट औमप्रकाश ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 10.03.2011 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2007 अपास्त करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी का निस्तारण अपील के अंतिम निस्तारण से पूर्व करने के निर्देश दिये हैं जिससे कि दूसरे पक्षकार को इन दस्तावेज को खण्डन हेतु दस्तावेज पेश करने का अवसर मिल सके। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी का निस्तारण पहले किया जाना न्यायोचित है। इस प्रार्थना पत्र के अलावा अपीलांट ने दिनांक 04.01.2006 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट ने पासबुक प्रस्तुत की जिसका निस्तारण भी पहले किया जाना न्यायोचित है। इस पर बहस सुनी गई। अपीलांट ने निवेदन किया कि साहवा तहसील तारानगर की जमाबंदी खाता संख्या 961/887 व 960/886 की प्रमाणित प्रतिलिपी अपीलांट ने प्रस्तुत की है व दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है। रेस्पोडेंट ने उक्त जमीन को अपने वाद पत्र में सम्मिलित नहीं किया है जबकि धारा 53 के वाद पत्र में समस्त कृषि भूमि सम्मिलित होनी चाहिये। चक 4 एन.आर. की प्रश्नगत भूमि पूर्व में रिसीवर के कब्जा में थी जिसका कब्जा अपीलांट संख्या–2 को भी संभलाया गया था जिसकी दैनिक डायरी अपील हाजा से सुसंगत है व प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2006 पर बहस करते हुए निवेदन किया कि मूल

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वादपत्र में खसरा नम्बर 1549/477 में दर्ज 21 बीघा भूमि को शामिल नहीं किया गया इस सम्बंध में पास बुक प्रस्तुत की है जो अपील हाजा से सुसंगत दस्तावेज है। रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 सीपीसी का विरोध करते हुए निवेदन किया कि उक्त अपीलांट द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनमें से एक दस्तावेज पूर्व में ही रिकार्ड पर है तथा घटना बही फौजदारी प्रकरण से सम्बंधित है। उक्त दस्तावेज पूर्व में पेश करने का कोई कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। रेस्पोडेंट ने घरू बंटवारा के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज फरमाया जावे।

4. प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। अपीलांट के उक्त दोनों प्रार्थना–पत्र अनतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किये जाकर दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त दस्तावेज रिकार्ड पर लेने के पश्चात रेस्पोडेंट से उक्त दस्तावेज के खण्डन हेतु पूछा गया तो रेस्पोडेंट ने खण्डन में कोई दस्तावेज पेश नहीं करना जाहिर किया।
5. उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।
6. अपीलांट ने मिमो ऑफ अपील 253/2021 व अपील संख्या 324/2022 के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात संख्या 1 ता 3 का निर्णय रेस्पोडेंट के पक्ष में व तनकी संख्या 4 का निर्णय अपीलांट के विरूद्व पारित किया है जो विधि विरूद्व है। रेस्पोडेंट का वाद पत्र विभाजन का था। विभाजन के वाद पत्र में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। खाता विभाजन के वाद पत्र में सम्पूर्ण भूमि को शामिल किये बिना खाता विभाजन नहीं किया जा सकता। अपील में प्रस्तुत जमाबंदी खाता संख्या 961/887 व खाता संख्या 960/886 प्रस्तुत की व चक 4 एन.आर. की कृषि भूमि 24 बीघा 10 बिस्वा की दैनिक डायरी को रिकार्ड पर लिया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा मानकर अहम भूल की है। प्रश्नगत भूमि में अपीलांट सहखातेदार है। सहखातेदार की भूमि में एक सहखातेदार का कब्जा विधिक दृष्टि से सभी सहखातेदारों का कब्जा माना जाता है। रेस्पोडेंट ने विभाजन के सम्बंध में कोई लिखित प्रस्तुत नहीं की तथा दफा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 1 व 2 बड़े व वृद्व अनपढ़ व्यक्ति हैं। अपीलांट संख्या–3 सीमा सुरक्षा बल का कर्मचारी है। अपीलांट संख्या 1 व 2 की ओर से अपीलांट संख्या–3 की मार्फत अधीनस्थ न्यायालय में वकील नियुक्त किया गया था जिसके नाम व पता की जानकारी अपीलांट संख्या 1 व 2 को नहीं थी। साहवा तहसील तारानगर में पिछले 4–5 वर्षो से अक्सर अकाल पड़ रहा है। अपीलांट भी अकाल से प्रभावित रहे हैं। अपीलांट के वकील द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के सम्बंध में कोई इतिला नहीं दी गई। अपीलांट संख्या–3 दशहरे की छुट्टी पर माह सितम्बर 2005 में आने पर रेस्पोडेंट द्वारा प्रश्नगत 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि बेचान की बात चलने पर अपीलांट संख्या–3

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ने पीलीबंगा में रिश्तेदारों से पता किया तब ज्ञान हुआ कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेंट ने अपने नाम करवा ली है। तब अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ और दिनांक 30.09.2005 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व दिनांक 06.10.2005 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान हुआ इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान नहीं था तथा काउन्टर क्लेम के विरूद्व प्रस्तुत अपील में दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 13.12.2021 को अपीलांट को जब रस्पोडेंट द्वारा अजनबी व्यक्तियों को जमीन विक्रय करने की बात का पता चला व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से निर्णय पारित होने के पश्चात् अपील पत्रावली में निर्णय इस न्यायालय द्वारा पारित होने का ज्ञान होने पर दिनांक 14.12.2021 को अपीलांट द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया गया तथा उसके द्वारा दिनांक 16.12.2021 को नकल प्राप्त कर माननीय न्यायालय द्वारा अपील दिनांक 18.09.2014 को अदम पैरवी में खारिज होने का ज्ञान हुआ। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को बताया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम दृष्टांत के अनुसार वाद पत्र को खारिज किये जाने व काउन्टर क्लेम को डिक्री किये जाने के सम्बंध में अलग अलग अपील होनी चाहिए थी जबकि इस्तगत प्रकरण में एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से राय मिलने पर उक्त अपील प्रस्तुत की है जो अन्दर मियाद ग्रहण की जावे तथा निवेदन किया कि दफा–5 मियाद अधिनियम के दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलांट का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1978 पेज 664, 2011 आरआरटी पेज 229, 2017 आरआरडी पेज 395, 199 आरआरडी पेज 6652004 आरएलडब्ल्यू पेज 170, 1981 आरआरडी पेज 523, 2022 डीएनजे पेज 459, 1992 आरआरडी पेज 239, 1992 आरआरडी पेज 17, 2008 आरआरडी पेज 167, 2008 आरआरटी पेज 1406, 2012 आरआरटी पेज 182 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

7. रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट को उपरोक्त कृषि भूमि घरू बंटवारा में प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा लिखित में होना आवश्यक नहीं है मौखिक भी घरू बंटवारा हो सकता है। हस्तगत प्रकरण में मौखिक घरू बंटवारा में रेस्पोडेंट को उपरोक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई है। मौखिक घरू बंटवारा होने के सम्बंध में रेस्पोडेंट ने प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा होना साबित किया है। इस सम्बंध में रेस्पोडेंट की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किये गये हैं तथा प्रदर्श पी–1 से पी–28 दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। अपीलांट की ओर से साक्ष्य में कोई भी दस्तावेज व गवाह प्रस्तुत नही हुआ है। रेस्पोडेंट की साक्ष्य अखण्डनीय रही है। प्रारम्भिक डिक्री उस मामले में जारी की जाती है जहां अच्छी मंदी के हिसाब से बंटवारा करवाना हो। हस्तगत प्रकरण में घरू बंटवारा में कृषि भूमि होने के कथन कर वाद पत्र प्रस्तुत किया है तथा उसे साबित किया है तथा दफा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित हुई है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में मिथ्या कथन किये हैं। अपीलांट ने 1 वर्ष 3 माह बाद उक्त अपील प्रस्तुत की है व अपीलांट ने अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

प्रार्थना पत्र में विरोधाभासी कथन किये हैं। अपीलांट एक तरफ तो कानूनी पेचिदगियां व प्रावधानों की जानकारी न होना व अपीलांट संख्या 1 व 2 की ओर से अपीलांट संख्या 3 की मार्फत पैरवी हेतु वकील नियुक्त करने के कथन किये गये हैं तथा दूसरी ओर 4–5 वर्ष अकाल पड़ने के कारण अपीलांट प्रभावित होने व अपने वकील द्वारा इसकी कोई इतिला नहीं देने के कथन किये हैं जो परस्पर विरोधाभासी है। वकालतनामा स्वयं अपीलांट संख्या 1 व 2 ने अपने अधिवक्ता को दिया है तथा उसके पश्चात् जवाब काउन्टर कलेम दिनांक 20.05.2003 को अपीलांट की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो अपीलांट के यह कथन स्वतः ही मिथ्या हो जाते हैं कि अपीलांट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क न किया हो। अपीलांट संख्या 3 द्वारा दशहरे की छुट्टी पर माह सितम्बर 2005 में आने के कथन किये गये हैं तथा अपीलांट संख्या 3 ने अपने प्रार्थना पत्र में सीमा सुरक्षा बल का कर्मचारी होने व नौकरी में कार्यरत रहने के कथन किये हैं। अपीलांट संख्या 3 द्वारा जो छुट्टी ली जाती है उसका रिकार्ड है। अपीलांट संख्या 3 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 28.07.2004 के पश्चात् उसे छुट्टी न मिली हो अथवा माह सितम्बर 2005 में ही छुट्टी मिली, इस सम्बंध में कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जबकि उक्त रिकार्ड अपीलांट संख्या 3 के आधिपत्य में था। अपीलांट संख्या 1 व 2 मात्र अनपढ़ होने के आधार पर इसका फायदा नहीं उठा सकते। अपीलांट ने वकील द्वारा सूचना न देने का मिथ्या कथन किया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की व हस्तगत अपील दिनांक 18.09.2014 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हुई है तथा जिसका रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18.09.2014 से लेकर दिनांक 20.12.2021 तक भी अपीलांट ने उक्त मुकदमा की सुध नहीं ली। अपील संख्या 324/2022 काउन्टर क्लेम के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित नवीनतम दृष्टांत का आधार लेकर काउन्टर क्लेम के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है जो कतई गलत है। अपीलांट ने अपील संख्या 324/2022 में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2004 से लेकर 13.12.2021 तक डिले का कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सन् 2018 में ही इस सम्बंध में निर्णय पारित कर दिया था। धारा 14 मियाद अधिनियम के सम्बंध में मिथ्या कथन किये हैं। रेस्पोडेंट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2021 (2) पेज 1318, आरआरडी 1991 पेज 180, आरबीजे 2017 पेज 122, आरआरटी 107 (1) पेज 117, आरआरटी 2017 (1) पेज 121, आरएलडब्ल्यू 2013 (2) पेज 1096, डीएनजे 2021 (3) पेज 47 पेश किये।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र. का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपील संख्या 253/2021 में अपीलांट संख्या 1 व 2 के अनपढ़, वृद्व होने व अपीलांट संख्या 3 सीमा सुरक्षा बल का कर्मचारी होने व लम्बे अर्सा तक सुरक्षा कारणों से घर से बाहर नौकरी में रहने के कथन किये हैं तथा दूसरी ओर साहवा तहसील तारानगर में 4–5 वर्षों से अकाल पड़ने व उनके वकील द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री की इतिला नहीं दिये जाने के कथन किये हैं तथा अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलांट के रिश्तेदारों से पता करने पर उनको पता

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

चला कि तहसील पीलीबंगा की जमीन रेस्पोडेंट ने अपने नाम करवा ली। अपीलांट संख्या 1 व 2 ने अपने द्वारा नियुक्त किये गये अधिवक्ता के नाम पता की जानकारी नहीं होने के कथन किये हैं जबकि वकालतनामा अपीलांट संख्या 1 व 2 स्वयं द्वारा दिया गया है व इसके पश्चात् दिनांक 20.05.2003 को सभी अपीलांट द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तो यह तथ्य विश्वास योग्य नहीं है कि अपीलांट संख्या 1 व 2 को अपने अधिवक्ता का नाम व पता ज्ञात न हो। अपीलांट संख्या 3 ने स्वयं को नौकरी के कारण लम्बा अर्सा तक बाहर रहने के कथन किये हैं। अपीलांट लम्बा अर्सा तक नौकरी के कारण बाहर रहा तथा माह सितम्बर 2005 में अवकाश प्राप्त हुआ और से पूर्व उसे अवकाश प्राप्त नहीं हुआ, इस सम्बंध में उक्त दस्तावेज अपीलांट संख्या 3 के आधिपत्य में होने बावजूद कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। अपीलांट ने अधिवक्ता द्वारा सूचना नहीं दिये जाने के भी कथन किये जो अविश्वसनीय है। इसके अलावा अपीलांट ने उक्त मुकदमा की जानकारी हेतु क्या प्रसास किये, ऐसा भी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित हुई है। न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2017(1) पेज 117 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती–उदार दृष्टिकोण नही अपनाया जा सकता अन्यथा यह मियाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा–विलम्ब स्पष्ट करने हेतू पर्याप्त कारण नही होना माना'' व डीएनजे 2017(3) राज. पेज 1054 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''वकील पर लापरवाही आरोपित करने की अनुमति नही दी जा सकती, मुवक्किल को प्रर्याप्त जागरूक होना चहिए और स्वंय की कार्यवाहियो के बारे में सूचना रखी जानी चाहिए।'' अपील संख्या 324/2022 में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 28.07.2004 से लेकर दिनांक 07.09.2022 तक देरी का कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है उक्त की गई विवेचना के अनुसार अपीलांट का दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः अपीलांट का प्रार्थना अपील संख्या 253/2021 व अपील संख्या 324/2022 खारिज किया जाता है तथा उपरोक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाण्ति प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 01.XI.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.XI.22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)